

02

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

1099
2017

गंगादेवी / अनामसीमाल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

225

अधिवक्ता कपीलायी उपाधिकृत /
 कर्मलिप रिपोर्ट लेकर पत्रावली
 प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर रजिस्टर करे।
 अधिवक्ता कपीलायी की बंधन प्रार्थना
 पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता
 कपीलायी की बंधन के परिपेश में पत्रावली
 का अवलोकन किया। कपील पत्रावली में
 उपलब्ध अधिनियम न्यायालय के समक्ष
 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 वादस्थान
 काश्कारी अधिनियम के अवलोकन
 से स्पष्ट है कि कपीलायीयां अधिनियम
 न्यायालय के समक्ष पत्रावली ही नहीं थी
 ऐसी स्थिति में कपीलायीयां यदि अधिनियम
 न्यायालय के आदेश से प्रभावित/लाभित
 पत्रावली थी तो उन्हें कपील प्रस्तुत करने
 हेतु आईएचू कपील की अनुमति के
 संदर्भ में प्रार्थना पत्र धारा 96 लागू
 दीवानी भी कपील के साथ प्रस्तुत किया
 जाना कानूनन आवश्यक था, परन्तु
 कपीलायीयां द्वारा इस संदर्भ में अपील
 के साथ कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही
 नहीं किया गया है। अतः कपील कपीलायी
 Right to appeal के अभाव में संघारण
 योग्य नहीं होने से अकारित की जाती
 है। तदनुसार पत्रावली फैसल कुमार
 होकर बाद तकनीक डाखिल इकर ही।
 आदेश सुनाया गया ✓

कपील